राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.3(10)नविवि/3/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 5 OCT 2017

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।

मुख्य नगर नियोजक,
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर,
भीलवाडा, कोटा, उदयपुर,
श्रीगंगानगर, भिवाडी, आबू,
चित्तौडगढ, जैसलमेर, बाडमेर,
सीकर, पाली, सवाईमाधोपुर

मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर),
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर

विषयः– प्राधिकरण/न्यास की भूमि में उपलब्ध खनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे।

संदर्भः– खान (गुप–2) विभाग की अ.शा.टीप क्रमांक प.14(19)खान/ग्रुप–2/17 दिनांक 03.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खान विभाग द्वारा प्राधिकरण एवं न्यास क्षेत्रों में जहां खनिज सम्पदा उपलब्ध है परन्तु संबंधित प्राधिकरण/न्यास द्वारा अनापत्ति नहीं दिये जाने से खनन पट्टे आवंटित किये जाना संभव नही हो रहा है हेतु उन खसरों को जिनकी किस्म गैर मुमकिन भाखर, मगरा, पहाड एवं पथरीली भूमि है के संबंध में राजस्व प्राप्ति एवं रोजगार के अवसर पैदा होने की स्थिति के मध्यनजर खनन हेतु अनापत्ति जारी करवाने का अनुरोध किया है। उक्त बिन्दु पर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार समस्त प्राधिकरणों एवं न्यासों को खनन हेतु (बॉलक्ले, फायरक्ले, बजरी/ग्रेवल हेतु) अनापत्ति निम्न शर्तो पर जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. प्रस्तावित भूमि मास्टर प्लान के नगरीयकरणयोग्य क्षेत्र तथा नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थित हो।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में खनन पट्टा दिये जाने से मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान में दर्शायी गयी सडक प्रभावित ना हो।
3. प्रस्तावित क्षेत्र मे न्यास की कोई योजना प्रभावित ना हो।
4. सुरक्षा की दृष्टि से खनन विभाग के मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।
5. इस संबंध में राजस्व विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशो की भी पालना की जावे।
6. रेल मार्ग, राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग के मार्गाधिकार की सीमा में नहीं हो/रेल मार्ग, राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग से सुरक्षित दूरी जो विभागीय/खनन मानदण्डों के अनुरूप हो, को छोडकर ही खनन कार्य किया जाये।
7. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश से प्रस्तावित स्थल निषिद्ध नहीं हो।

8. प्रचलित मास्टर विकास योजना के अनुसार जिस क्षेत्र में खनन गतिविधि अनुज्ञेय नहीं है में खनन की अनुमति न दी जाये।

9. आबादी व योजना क्षेत्र से 1 किमी. दूर होने पर ही ब्लास्टिंग द्वारा खनन कार्य हेतु अनुमति दी जाये।

10. 500 मीटर से कम दूरी पर खनन अनुमति नहीं दी जावे। खनन क्षेत्र गैर मुमकिन भाखर/मगरा/पहाड का भाग नहीं होना चाहिए।

11. आवेदक द्वारा खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने पर उन गढ्ढों को भरकर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जावेगा।

12. खनन मलबे को परिवहन कर अनुमोदित स्थल पर डालने एवं पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो की सुनिश्चितता की जायेगी।

13. JDA/JoDA/UIT/ULB के नाम भूमि दर्ज होने पर खान नीलामी की 10 प्रतिशत राशि सबाधत प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय में जमा कराई जावें।

14. शर्तो का उल्लघंन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त करने का अधिकार संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का होगा।

भवदीय,

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि :–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग को उनकी अ.शा.टीप क्रमांक प. 14(19)खान/ग्रुप–2/17 दिनांक 03.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय